न्यायालय अति0जिला कलेक्टर,टोंक

(सुखराम खोखर,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 28/2013
प्रविष्टि दिनांक 30.01.2013

सरकार जरिए तहसीलदार मालपुरा

—प्रार्थी

बनाम

जोरू पुत्र श्रीनारायण जाति माली निवासी चान्दसेन तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0

—प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :— (1) श्री जुगनू शर्मा राजकीय अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री सीताराम विजय, अभिभाषक अप्रार्थी

अभिशंषा

दिनांक 29.11.2019

यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार मालपुरा द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत प्रस्तुत किया है। आवेदन का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 1436 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम चान्दसेन तहसील मालपुरा मुताबिक खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2010 मे गै0मु0 नला भूमि दर्ज है। यह रकबा भू आवण्टन सलाहकार समिति के द्वारा दिनांक 30.05.1986 को रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा विपक्षी के नाम आवण्टित किया गया जिस पर दिनांक 04.11.1986 को जरिए नामान्तरकरण सं0 1654 से गैर खातेदारी दी गई एंव दिनांक 11.06.1999 से नामान्तरकरण सं0 2479 के द्वारा खातेदारी दर्ज की गई। नकल जमाबंदी सम्वंत 2066—2069 वाके ग्राम चान्दसेन खसरा नम्बर 1436/2 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि जोरू पुत्र श्रीनारायण जाति माली निवासी चान्दसेन तहसील मालपुरा की खातेदारी मे दर्ज है। यह रकबा भू आवण्टन सलाहकार समिति के द्वारा दिनांक 30.05.1986 को रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा विपक्षी के नाम आवण्टित किया गया जिस पर दिनांक 04.11.1986 को जरिए नामान्तरकरण सं0 1654 से गैर खातेदारी दी गई एंव दिनांक 11.06.1999 से नामान्तरकरण सं0 2479 के द्वारा खातेदारी दर्ज की गई। तहसीलदार मालपुरा ने अपने प्रार्थना पत्र में उक्त आवण्टन को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रतिकूल होने के कारण एंव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी0बी0सिविल जनहित याचिका सं0 1536/03 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 2—8—2004 की पालना में प्रस्तुत करते हुए विपक्षी के पक्ष में किया गया आवंटन एंव भरे गये नामान्तरकरण सं0 1654 व नामान्तरकरण सं0 2479 को निरस्त करने हैतु यह रेफरेन्स प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी जरिए नोटिस विपक्षी की गई। बहस राजकीय अभिभाषक एंव अभिभाषक अप्रार्थी सुनी गई।

अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब पेश किया कि खसरा नम्बर 1436 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम चान्दसेन पर विपक्षी को पटवारी हल्का से मौके की रिपोर्ट प्राप्त करने के

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

उपरान्त दिनांक 30.05.1986 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विधिवत रूप से आवंटन किया गया है। भूमि मौके पर गै0मु0 नाला नही है,काबिल काश्त है। गै0मु0 नाला से बारानी –3 मे उपखण्ड अधिकारी मालपुरा द्वारा तब्दील करने के पश्चात उक्त भूमि आवंटन की गई है,उक्त आवंटन पर अब्दुल रहमान बनाम सरकार का निर्णय इस प्रकरण पर चस्पा नही होता है तथा धारा 16 राज0 टी0एक्ट के प्रावधान भी इस प्रकरण पर चस्पा नही होते है। भूमि की किस्म बारानी–3 होने से अप्रार्थी को पहले गैर खातेदारी प्रदान की गई बाद मे खातेदारी दी गई है। अप्रार्थी द्वारा आवंटन होने के पश्चात उक्त भूमि पर लगातार काश्त करता आ रहा है। आवंटन से पूर्व उक्त भूमि गैर मुमकिन नांला से बारानी मे तब्दील कर दी गई थी। आवंटन बारानी भूमि का किया गया है। आवंटन लगभग 30 वर्ष पुराना है तथा खातेदारी मिलने के बाद आवंटन निरस्त नही किया जा सकता है।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एंव निवेदन किया कि विवादित भूमि खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2010 में गै0मु0 नला भूमि दर्ज है एवं भूमि का आकार नला दर्ज थी, उक्त नला भूमि होने के कारण आवण्टन किया जाना राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के प्रतिकूल है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी0बी0सिविल याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 2.08.2004 की पालना में विपक्षी के पक्ष में किया गया आवण्टन एवं भरे गये नामान्तकरण संख्या 1654 गेर खातेदारी एंव खातेदारी का नामान्तरकरण सं0 2479 निरस्त कराने हैतु रेफरेन्स प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी ने दोराने बहस कथन किया कि प्रार्थी को आवंटित भूमि कि किस्म बारानी–3 भूमि है जिसको तालाबी/नला भूमि नही माना जा सकता। तालाबी भूमि वह भूमि होती है जिसमे जल भरा होता हो। नकल जमाबंदी मे बारानी भूमि दर्ज है। खसरा नम्बर 1436 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम चान्दसेन पर विपक्षी को पटवारी हल्का से मौके की रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त दिनांक 30.05.1986 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विधिवत रूप से आवंटन किया गया है। भूमि मौके पर गै0मु0 नाला नही है,काबिल काश्त है। गै0मु0 नाला से बारानी –3 मे उपखण्ड अधिकारी मालपुरा द्वारा तब्दील करने के पश्चात उक्त भूमि आवंटन की गई है,उक्त आवंटन पर अब्दुल रहमान बनाम सरकार का निर्णय इस प्रकरण पर चस्पा नही होता है तथा धारा 16 राज0 टी0एक्ट के प्रावधान भी इस प्रकरण पर चस्पा नही होते है। भूमि की किस्म बारानी–3 होने से अप्रार्थी को पहले गैर खातेदारी प्रदान की गई बाद मे खातेदारी दी गई है। अप्रार्थी द्वारा आवंटन होने के पश्चात उक्त भूमि पर लगातार काश्त करता आ रहा है। आवंटन से पूर्व उक्त भूमि गैर मुमकिन नाला से बारानी मे तब्दील कर दी गई थी। आवंटन बारानी भूमि का किया गया है। आवंटन 30 वर्ष पुराना है तथा खातेदारी मिलने के बाद आवंटन निरस्त नही किया जा सकता है।राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 कि धारा 16 मे बारानी–3 भूमि को आवंटन करना निषेध नही माना गया है। अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने कथन की पुष्टि में न्यायिक दृष्टान आर.आर.टी 2016 (2)पेज 769,884,756,आर.आर.डी 2018 पेज 492,532,479,आर.आर.डी. 1994 पेज 208 व आर.बी.जे 2016 पेज 102,418 उद्वरित किये है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

Scanned by CamScanner

राजकीय अभिभाषक एंव अभिभाषक अप्रार्थी की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विवादित हाल खसरा नम्बर 1436/2 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा साबिक खसरा नम्बर 1436 से बना है। नकल खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2010 में साबिक खसरा नम्बर 1436 गै0मु0 नला भूमि दर्ज है। भू आवण्टन सलाहकार समिति के द्वारा दिनांक 30.05.1986 को 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि विपक्षी जोरू को आवण्टन किया गया है। आवण्टन आदेश की अनुपालना में विपक्षी को दिनांक 04.11.1986 को जरिए नामान्तकरण सं0 1654 गेर खातेदारी एंव दिनांक 11.06.1999 को नामान्तरकरण सं0 2479 के द्वारा खातेदारी अधिकार दे दिये गये। चूँकि विवादित उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड नकल खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2010 में गै0मु0 नला दर्ज होने से सार्वजनिक सम्पदा थी विपक्षी ने इस भूमि को भू आवण्टन सलाहकार समिति की राय से अपने पक्ष में आवण्टित करा कर पहले गैर खातेदारी एंव बाद में खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये। राज0 टिनेन्सी एक्ट की धारा 16 के तहत ऐसी भूमियों का आवण्टन प्रतिबन्धित हैं। इससे स्पष्ट है कि दिनांक 30.05.1986 को विवादित भूमि विपक्षी के पक्ष में आवण्टित किया जाना राज0 टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के प्रतिकूल है। अभिभाषक अप्रार्थी का तर्क है कि आवंटन आदेश जारी होने से पहले आवंटन पत्रावली पर यह नोट अंकित है कि भूमि मौके पर गै0मु0 नाला नही है काबिल काश्त गै0मु0 नाला से बारानी–3 मे परिवर्तित की जाती है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट मे उक्त भूमि को गै0मु0नाला होना अंकित किया है। आवंटन पत्रावली मे किस निर्णय द्वारा उक्त भूमि की किस्म परिर्वतन की गई का उल्लेख नही है। तहसीलदार मालपुरा का यह प्रकरण माननीय राज0 उच्च न्यायालय की डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 2–8–2004 की पालना में प्रस्तुत किया है जो स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता हैं।

फलतः माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स प्रकरण इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि विपक्षी को दिनाक 30.05.1986 को किया गया आवंटन भूमि ख0न0 1436/2 रकबा 1.05 बीघा वाके ग्राम चान्दसेन तहसील मालपुरा तथा विपक्षी के नाम स्वीकार किया गया गैर खातेदारी का नामान्तकरण सं0 1654 दिनांक 04.11.1986 एंव खातेदारी का नामान्तकरण सं0 2479 दिनांक 11.06.1999 को निरस्त कर हाल आराजी खसरा नम्बर 1436/2 रकबा 1.05 बीघा वाके ग्राम चान्दसेन को पुनः गै0मु0 नला भूमि दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

(सुखराम खोखर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukh Ram Khokher
Date: 2019.12.05 17:08:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: